

**न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)**  
**(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)**

आप.प्र.क.: 552 / 2014

संस्थित दि: 19 / 06 / 14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

**विरुद्ध**

1. दिलीप ऐड़े पिता सेवकराम, उम्र 30 साल, जाति पंवार,  
निवासी लिंगा थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. राकेश पटले पिता रामलाल, उम्र 30 साल जाति पंवार,  
निवासी मकान नं. 164 सुभाष नगर बीरगांव थाना उरला रायपुर (छ.ग.)

..... आरोपीगण

— :: **निर्णय** :: —

**(आज दिनांक 19 / 02 / 2015 को घोषित किया गया)**

(01) आरोपी दिलीप ऐड़े पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3 / 181, 146 / 196 एवं आरोपी राकेश पटले पर मोटरयान अधिनियम की धारा 5 / 180 के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी दिलीप ऐड़े ने दिनांक 21. 05.2014 को समय 09:00 बजे ग्राम लिंगा मेन रोड अमन स्कूल के सामने थाना परसवाड़ा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी.04—सी.एम.3026 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं अशोक को टक्कर मारकर उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को बिना बैध लायसेंस व बीमा के चलाते हुए पाया गया तथा आरोपी राकेश पटले ने अपने अधिपत्य के उक्त वाहन को यह

जानते हुए कि वाहन चालक दिलीप ऐड़े के पास वाहन चलाने का लायसेंस नहीं है फिर भी उक्त वाहन उसे चलाने हेतु दिया।

**(02)** अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है फरियादी अशोक बोपचे ने दिनांक 21.05.2014 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 21.05.2014 को 09:00 बजे स्कूल के पास वस्ती रोड तरफ से आ रहे वाहन मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी.04—सी.एम.3026 के चालक दिलीप ऐड़े ने वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते लाया और उसकी मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी. 50—एम.एस.4191 को टक्कर मार दिया जिससे वह मोटरसायकिल सहित गिर गया और उसे चोट आई। फरियादी की रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 80 / 14 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपी दिलीप ऐड़े को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3 / 181, 146 / 196, 5 / 180 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

**(03)** आरोपी दिलीप ऐड़े को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3 / 181, 146 / 196 तथा आरोपी राकेश पटले को मोटरयान अधिनियम की धारा 5 / 180 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर पढकर सुनाई व समझाई गई।

**(04)** आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :—

- (1)** क्या आरोपी दिलीप ऐड़े ने दिनांक 21.05. 2014को समय 09:00 बजे ग्राम लिंगा मेन रोड अमन स्कूल के सामने थाना परसवाड़ा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी.04—सी.एम.3026 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

(2) क्या आरोपी दिलीप ऐडे ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी. 04—सी.एम.3026 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर अशोक को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?

(3) क्या आरोपी दिलीप ऐडे इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी. 04—सी.एम.3026 को बिना बैध लायसेंस व बिना बीमा के चलाते हुये पाया गया ?

(4) क्या आरोपी राकेश पटले इसी दिनांक, समय व स्थान पर अपने अधिपत्य के वाहन मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी.04—सी.एम.3026 को यह जानते हुए कि वाहन चालक दिलीप ऐडे के पास वाहन चलाने का लायसेंस नहीं है फिर भी उक्त वाहन उसे चलाने हेतु दिया ?

—:: सकारण — निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 :-

(05) प्रकरण में सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 1, 2, 3 एवं 4 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(06) आरोपी दिलीप ऐडे को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 एवं आरोपी राकेश पटले को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीगण को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।

(07) आरोपी दिलीप ऐडे के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 एवं आरोपी राकेश पटले के द्वारा

मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी दिलीप ऐड़े को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 एवं आरोपी राकेश पटले को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के आरोप में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।

(08) अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपीगण का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपीगण के द्वारा अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

(09) आरोपी दिलीप ऐड़े को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप में 1000/- (एक हजार रुपये), 337 के आरोप में 500/- (पांच सौ रुपये) तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के आरोप में 500/- (पांच सौ रुपये), 146/196 के आरोप में 1000/- (एक हजार रुपये) तथा आरोपी राकेश पटले को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के आरोप में 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर आरोपीगण को एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(10) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी.04-सी.एम.3026 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है । सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित  
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला, बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

— / / 05 / / —

आप.प्र.क.: 552 / 2014

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)